

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**  
**अधिसूचना**

संचिका संख्या-5/अ0प्र0-01-02/2019

2426


/पटना दिनांक-10/6/2021

राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0-4685 दिनांक-25.06.2003 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों/अधिसूचनाओं के आलोक में दिनांक-28.01.2021 को विभागीय स्त्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के निम्नांकित सहायक अभियंताओं को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित तिथि से स्तम्भ-8 में अंकित वेतनमान में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	बैठक की कार्यवाही का क्रमांक	नाम/गृह जिला	वरीयता क्रमांक वर्ष 2016	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि एवं नियुक्ति का पद	प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (12 वर्ष)	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	श्री प्रदीप कुमार दास/मुंगेर	54	04.03.1959	10.10.1983 क.अ.	09.08.1999	6500-10500
2	5	श्री राजेन्द्र प्रसाद/नालन्दा	118	09.05.1962	18.01.1988 क.अ.	18.01.2000	6500-10500
3	26	श्री कौशलेन्द्र कुमार पाण्डेय/शेखपुरा	476	02.07.1962	31.12.1987 क.अ.	31.12.1999	6500-10500

- वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपर्युक्त सहायक अभियंताओं का वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम-8 के अनुसार किया जाएगा। मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (i) में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा।
- उपर्युक्त किसी भी सहायक अभियंता के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित सहायक अभियंता को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन संबंधी लाभ को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।
- नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान से पूर्व संबंधित सहायक अभियंताओं की सेवा में टूट इत्यादि, जिससे वित्तीय उन्नयन प्रभावित होता हो, की जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
5/6/2021  
(संजय दूबे)

सरकार के विशेष सचिव



→ २५५ - १२ ११११६


०६

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019

2427

/पटना दिनांक- 10/6/2021

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019

2427

/पटना दिनांक- 10/6/2021

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित नियमावली एवं परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।




सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019

2427

/पटना दिनांक- 10/6/2021

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-02, 03 एवं 04/संबंधित सहायक अभियंता एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

